

घोषणा

सचिव :

महोदय,

मैं, जो हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विनियोग (संख्या -1) विधेयक 2023 को अपने फरवरी मार्च सत्र, 2023 में पारित किया था तथा जिस पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।